

29/7/19

पत्रावली पेश हुई। वकील इन पर उपस्थित। मामले में
 बहस हुई। वकील अपील का कथन है मान्यता प्राप्त
 हो जाने एवं लम्बी समय तक अपीलकर्ता की छुट्टा के
 कारण अपील नहीं हो सकी परन्तु में खारिज वाद को पुनः बराबर
 करने के कारणों को खारिज करने में कालान्त में पुनः की है। एवं
 मात्र हरेक कालान्त के पक्षों में लड़ने वाले के उद्देश्य से विचारित
 किया है। एक पर अपीलकर्ता एवं विधि के प्रवर्धकों के साथ निर्णय
 नहीं किया है। वकील का मान्यता मिले छान्नी मामले को गुणवत्ता
 पर निर्धारण प्रदान किया है, वकील स्वीकार कर अपीलकर्ता
 मान्यता को मान्यता पुनः बराबर का करने का इच्छा व्यक्त है।
 रोजगारों पर का कोई विशेष खतरा नहीं है।
 वकील आगे कोई कुछ नहीं करने की इच्छा पर अपील
 स्वीकार की जाती चाहिए, का कथन किया है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाड़मेर

मान्यता में अपील अपीलकर्ता स्वीकार की जाती है।
 अपीलकर्ता को दिनांक 6-6-2017, जो AEE (SD) राजपट द्वारा विधि
 प्रकृत नं. 42/2013 में दिया है, निर्णय दिया जाता है। अपीलकर्ता
 मान्यता को निर्णय दिनांक 6-6-2017 के दिनांक अपीलकर्ता (वकील का)
 द्वारा प्रकृत पुनः बराबर का करने स्वीकार कर वाद को
 पुनः बराबर वाद के उद्देश्य निर्धारण हेतु पुनः बराबर के प्रकृत के
 लेख अपील निर्णय गुणवत्ता के आधार पर विचारित को।

P.T.O

पत्रावली जैतम शुभार होकर गेकर से कर है।

बाड नवमीम साखिल करार है।



राजरव अपील प्राधिकारी
बाडमेर